राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3000/2023

सरोज –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
4. प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकान्नद मॉडल स्कूल, दौसा, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 19.10.2023
आदेश की दिनांक : 25.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंडावर, ब्लॉक खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंडावर से स्वामी विवेकान्नद मॉडल स्कूल, दौसा किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 21.09.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 13.10.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करवाने बाबत एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.09.2023 (अनुलग्नक–2) की पालना में अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन के लिए अविलम्ब कार्यग्रहण करवाया जावे।

अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 07.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंडावर से स्वामी विवेकान्नद मॉडल स्कूल, दौसा किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 21.09.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को नवीन पदस्थापित स्थान पर 07 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करवाया जावे एवं कार्यमुक्ति आदेश से कार्यग्रहण तिथि के बीच की अवधि का नियमानुसार निर्णय किया जावे।

अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य